

छात्र का आवासन

(प्रकार / पत्राचार / सामाजिक संस्था के साथ के छात्र का पूरा नाम) पुपुत्र/पुपुत्री/.....
की श्रेणी सुश्री जिसे में (आस्थापना का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शिक्षक
संस्थानों के जोरिम पर नियंत्रण संबंधी एजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम
संबंधी) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।

(क) विनियमों से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें
प्रतिषेधित हैं।

(ख) विनियमों की धारा 7 एवं 8.1 को भी विस्तार रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक कार्यवाई के विषय में पूरी
तरिकों से न तो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग
को प्रोत्साहित अथवा प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में प्रत्यक्ष करने या दोषी पाया जाता हूँ।

(ग) मैं इस प्रस्तावित रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....

(घ) मैं इस किसी ध्वंसकार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के
रूप में माना जा सकता है।

(च) मैं इस किसी आधार अथवा अनापराध के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके प्रत्यक्ष में अथवा उसके प्रोत्साहन
में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

(ज) मैं इस प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 8.1 के अनुसार इनसे बिना
प्रमाणों के ही दण्ड के लिए तथा ऐसी दृष्टिकोण कार्यवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति
निर्णयित अथवा अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।

(झ) मैं इस प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान में, मुझे रैगिंग के प्रत्यक्ष में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसके
प्रत्यक्ष में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए या तो निष्कासित किया है या ही प्रदेश से बाधित किया
है और मैं इस प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि कोई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि
यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

प्रमाणित किया - मैं दिन माह वर्ष

राज्यकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि यह ध्येयसंस्था मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा
यह प्रमाणित है कि मैं इस बात का भी विचार नहीं कर रहा हूँ और मैं ही अत्यधिक करी गई है।

प्रमाणित किया दिन माह वर्ष

राज्यकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

माता-पिता/अभिभावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/शुभ्री _____ (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को _____ (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009 में शैक्षणिक जोखिम पर नियन्त्रण लागू करने से संबंधित विनियमों (जो अपने से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने विहित रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि शैक्षणिक सेवाएं प्राप्त हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 3 एवं 3.1 का भी विरोध रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान शैक्षणिक की अथवा शैक्षणिक में सहायक होने की सक्रिय अथवा निष्क्रिय शर्तों से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा शैक्षणिक को प्रत्याह्वान करने में असमर्थता का एक हिस्सा होता/होती है तो उक्त विनियमों में उक्त विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का यह प्रावधान होगा/होगी, यह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं प्रत्याह्वान सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि _____
 (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत शैक्षणिक माना गया है।
 (ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलभूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी या ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत शैक्षणिक के रूप में माना गया है।
5. प्रत्याह्वान मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान शैक्षणिक की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 3.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत होगा।
6. प्रत्याह्वान मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में मिश्रित किसी भी संस्थान द्वारा शैक्षणिक की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा शैक्षणिक का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हूआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

सहीरित किया गया _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

राज्यकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम _____
 पता _____
 दूरभाष सं./मों. सं. _____

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह सत्यबद्धता मेरे संज्ञान में सश्रीणीय रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कोई भी धारा या तो छिपाई गई है और या ही अस्पष्ट नहीं है।

सत्यापित (स्थान) _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

राज्यकर्ता के हस्ताक्षर